कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 15/2020 दिनांक: अक्टूबर, 03/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन व संदिग्ध व्यक्तियों की चेंकिग अभियान एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रोहनियाँ जनपद वाराणसी के नेतृत्व में दिनांक 02/10/2020 को थाना रोहनियाँ पुलिस देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन में जन्सा रोड वीरभानपुर नहर क्रासिंग पर मौजूद थी कि दो व्यक्ति एक मोटर साईकिल पर बैठकर वीरभानपुर गांव की तरफ से जन्सा मेन रोड पर आते हुए दिखाई दिये। थाना रोहनियाँ पुलिस ने रूकने के लिए संकेत दिया गया तो अचानक पीछे मुड़कर भागना चाहे, जिन्हे उपस्थित पुलिस बल द्वारा दौड़ाकर लगभग 50 कदम पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम प्रमोद कुमार पटेल पुत्र संजय पटेल निवासी वीरभानपुर (ओदारे) थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी उम्र 20 वर्ष व दूसरे ने अपना नाम चन्दन सिंह उम्र 28 वर्ष पुत्र शिवप्रसाद सिंह निवासी वीरभानपुर थाना रोहनियाँ वाराणसी बताया। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों से भागने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि हम दोनों ने मिलकर यह मोटरसाइकिल कचहरी वाराणसी थाना कैण्ट से चुरायी थी, जिसे हम लोगों ने छिपाकर रखा था। आज जन्सा की तरफ बेचने जा रहे थे कि आप लोगो नें पकड़ लिया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 402/2020 धारा 41/411/414 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. प्रमोद कुमार पटेल पुत्र संजय पटेल निवासी वीरभानपुर (ओदारे) थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी उम्र 20 वर्ष।
2. चन्दन सिंह पुत्र शिवप्रसाद सिंह निवासी वीरभानपुर थाना रोहनियाँ वाराणसी उम्र 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

3. सुपर स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल (नम्बर प्लेट नही है) चेसिस नं0-MBLJA05EMF9G20737, इंजन नं0-JAD5ECF9G17717 व रंग लाल है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव, उ0नि0 ओमप्रकाश राय, उ0नि0 अजय कुमार यादव, का0 शीतला प्रसाद व का0 रामध्यान थाना रोहनियाँ वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 16/2020 दिनांक: अक्टूबर, 03/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 03.10.2020 को मु0अ0सं0 153/2020 धारा 419/420/467/468/470/471/120(बी)/216 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मेराज अहमद ने पुलिस के दबाव व की जा रही कार्यवाही के भय से चौकी सरैया थाना जैतपुरा में किया आत्मसमर्पण।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी चेतगंज के कुशल नेतृत्व में थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-153/2020 धारा 419/420/467/468/470/471/ 120(बी)/216 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त मेराज अहमद उर्फ भाई मेराज पुत्र स्व0 जलालुद्दीन निवासी- ई-435 अशोक विहार कालोनी फेज-1 थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी ने पुलिस के बढ़ते दबाव, पुलिस द्वारा प्राप्त NBW व 82 सीआरपीसी और मा0 न्यायालय से 83 सीआरपीसी प्राप्त करने हेतु किये जा रहे प्रयास के भय से आज दिनांक 03.10.2020 को समय करीब 11.20 बजे चौकी सरैया थाना जैतपुरा पर आकर अपने आपको यह बताते हुए कि, मैं ही मेराज अहमद पुत्र स्व0 जलालुद्दीन हूँ, मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही न करिये, आत्मसमर्पण किया गया। थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा विश्वास होने पर कि यही मेराज अहमद उपरोक्त है, समय करीब 11.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

अभियुक्त मेराज के द्वारा थाना जैतपुरा में थाने की फर्जी मोहर, उ0नि0 की रिपोर्ट व प्रभारी निरीक्षक द्वारा अग्रसारित करके अपने लाइसेन्सी असलहे .30 बोर की पिस्टल का नवीनीकरण करा लिया गया था। थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा जब जाँच की गयी तो ये सारे तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त मेराज अहमद द्वारा ट्रेजरी चालान भी फर्जी लगाया गया था। दिनांक 06.01.2019 को ट्रेजरी चालान जमा होना दिखाया गया है जबकि उस दिन रविवार था और सभी बैंक बन्द थे। ऐसा ही प्रकरण थाना कैण्ट में अभियुक्त मेराज, इसके चाचा के लड़के दिलशाद व ड्राइवर वसीम के विरूद्ध भी पाया गया, इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट में इन लोगों के विरूद्ध भी मुकदमा पंजीकृत किया गया। मेराज से सम्बन्धित इनके भाई अब्दुल कलाम के नाम से भी 03 असलहों के लाइसेंस बने थे जिनको जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा निलम्बित कर दिया गया, परन्तु निलम्बन के बाद भी असलहा जमा ना करने पर अब्दुल कलाम व मेराज के विरूद्ध मु0अ0सं0 0177/2020 धारा 21/30 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त मेराज के विरूद्ध धारा 82 सीआरपीसी न्यायालय से जारी होने के बावजूद भी हाजिर न होने पर धारा 174(ए) भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण से सम्बन्धित सभी 08 असलहे थाने पर जमा करा लिये गये है, मेराज अहमद द्वारा ही इन असलहों का दुरूपयोग किया जाता रहा है। जिन अन्य लोगों के नाम इस कूट रचना में प्रकाश में आयेंगें उनके विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्त मेराज अहमद द्वारा न्यायालय में अन्तरिम जमानत हेतु

प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, लेकिन अभियुक्त के कृत्य को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.10.2020 को कुर्की प्राप्त करने हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसको देखते हुए अभियुक्त मेराज अहमद उपरोक्त द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में जनपद वाराणसी के अतिरिक्त अन्य जनपदों में भी करीब दो दर्जन मुकदमें पंजीकृत हैं। अभियुक्त के समस्त असलहों को निरस्त कराकर जैतपुरा थाने में जमा करा लिया गया है।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- मेराज अहमद पुत्र स्व0 जलालुद्दीन निवासी- ई- 435 अशोक विहार कालोनी फेज-1 थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-508/02 धारा 147/148/149/307/302/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट, 25/27 आर्म्स एक्ट थाना सिगरा वाराणसी।
2. मु0अ0सं0-639/03 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट वाराणसी।
3. मु0अ0सं0-640/03 धारा 18/20 एनडीपीएस थाना कैण्ट वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 160/06 धारा 147,148,149,304 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 3/4 गैंग अधिनियम थाना कोतवाली रायबरेली।
5. मु0अ0सं0 77/06 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जैतपुरा वाराणसी
6. मु0अ0सं0 164/07 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना जैतपुरा वाराणसी
7. मु0अ0सं0 175/07 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना जैतपुरा वाराणसी
8. मु0अ0सं0 17/04 धारा 3(2) एनएसए थाना सिगरा वाराणसी
9. मु0अ0सं0 153/2020 धारा 419,420,467,468,470,471,120 बी ,216 भा0द0वि0 थाना जैतपुरा वाराणसी।
10. मु0अ0सं0 177/2020 धारा 21/30 आर्म्स एक्ट थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी
11. मु0अ0सं0 178/2020 धारा 174 ए भादवि थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी
12. मु0अ0सं0 734/2020 धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना कैण्ट जनपद वाराणसी
13. मु0अ0सं0 735/2020 धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना कैण्ट जनपद वाराणसी
14. मु0अ0सं0 736/2020 धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना कैण्ट जनपद वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 अकरम चौकी प्रभारी सरैया थाना जैतपुरा वाराणसी।

2- उ0नि0 दयाशंकर यादव थाना जैतपुरा वाराणसी।

3- हे0का0 विजेन्द्र चौधरी थाना जैतपुरा वाराणसी।

4- का0 धीरज पटेल थाना जैतपुरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 17/2020 दिनांक: अक्टूबर, 03/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, पुलिस अधीक्षक नगर वाराणसी व क्षेत्राधिकारी कोतवाली वाराणसी के निर्देशन तथा प्र0नि0 कोतवाली के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.10.2020 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0119/2020 धारा 307/324 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अश्विनी केशरी पुत्र श्याम नारायण केशरी निवासी के-64/87 गोलादीनानाथ थाना कोतवाली वाराणसी को सप्तसागर स्थित माहेश्वरी धर्मशाला के पास से समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अश्विनी केशरी पुत्र श्याम नारायण केशरी निवासी के-64/87 गोलादीनानाथ थाना कोतवाली वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 सच्चिदानंद सिंह प्रभारी चौकी सप्तसागर व का0 धर्मेन्द्र कुमार चौहान थाना कोतवाली वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 18/2020 दिनांक: अक्टूबर, 03/2020

प्रेस नोट

दिनांक 02.10.2020 को थाना सारनाथ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर नई बाजार के पास से अच्छे लाल सोनकर पुत्र राजकुमार सोनकर निवासी लोहदा थाना कोतवाली नगर जनपद चन्दौली उम्र 22 वर्ष को समय करीब 19.40 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 35 शीशी (क्वार्टर) अवैध देशी शराब बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0571/2020 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अच्छे लाल सोनकर पुत्र राजकुमार सोनकर निवासी लोहदा थाना कोतवाली नगर जनपद चन्दौली उम्र 22 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- 35 शीशी (क्वार्टर) अवैध देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 धर्मराज शर्मा व का0 बूटा सिंह थाना सारनाथ वाराणसी ।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 19/2020 दिनांक: अक्टूबर, 03/2020

प्रेस नोट

दिनांक 02.10.2020 को आबकारी निरीक्षक गुलाब सिंह सेक्टर-1 जनपद वाराणसी मय हमराह हे0का0 सुमन्त कुमार मिश्रा व का0 रजनीश कुमार यादव के साथ नरिया तिराहे पर मौजूद थे तभी मुखबीर ने आकर यह सूचना दी कि 02 व्यक्ति सुन्दरपुर अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल में गुमटी के पीछे अवैध गांजे के साथ छिपे हुए है तथा कही भागने की फिराक में है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके आबकारी निरीक्षक द्वारा चौकी प्रभारी सुन्दरपुर को मयफोर्स सुन्दरपुर बटुआनाला पर बुलाया गया। आबकारी निरीक्षक मय हमराही मय मुखबिर के सुन्दरपुर बटुआपुरा नाला पर गये जहाँ पर कुछ देर बाद चौकी प्रभारी सुन्दरपुर उ0नि0 सूरज कुमार तिवारी मय हमराही उ0नि0 रामप्रीत यादव, का0 चन्द्रप्रकाश खरवार, का0 शुभम मिश्रा, का0 अखिलेश कुमार के साथ आये। मुखबिर ने इशारे से अंग्रेजी शराब की दुकान से पहले स्थित गुमटी के पीछे बैठे व्यक्तियों की ओर इशारा करके बताया कि यही वह 02 व्यक्ति है, अचानक पुलिस बल को देखकर दोनों व्यक्ति अपने-अपने हाथों में एक-एक सफेद झोला लेकर भागने लगे। पुलिस बल के द्वारा दौड़ा कर समय करीब 22.30 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर पहले ने अपना नाम सुरेश पासवान पुत्र स्व0 लालजी पासवान निवासी-एन-14/186 सरायनन्दन खोजवा थाना भेलुपुर जनपद-वाराणसी बताया तथा भागने का कारण पूछने पर बताया कि मेरे पास हाथ में जो झोला है उसमें मादक पदार्थ गांजा है, पकड़े गये व्यक्ति के हाथ में सफेद झोले को खोलकर देखा गया तो गाँजा जैसा मादक पदार्थ मौजूद मिला, जिसका भौतिक सत्यापन करने पर गांजा प्रतीत हो रहा था। पकड़े गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम शीतल पासवान पुत्र स्व0 लालजी पासवान निवासी-N-14/186 सरायनन्दन खोजवा थाना-भेलुपुर जनपद-वाराणसी बताया जिसके पास से झोले में गांजा- बरामद हुआ। तत्पश्चात आबकारी निरीक्षक द्वारा चौकी सुन्दरपुर पर नियुक्त और मौके पर मौजूद आरक्षी चन्द्रप्रकाश खरवार को भेजकर मौके पर इलेक्ट्रानिक कांटा मंगाकर वजन किया गया तो सुरेश पासवान के पास से बरामद अवैध गांजे का झोले सहित वजन 850 ग्राम निकला तथा शीतल पासवान के पास से बरामद झोले का अवैध गांजा सहित वजन किया गया तो कुल वजन 700 ग्राम प्राप्त हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लंका पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1) सुरेश पासवान पुत्र स्व0 लालजी पासवान निवासी-N-14/186 सरायनन्दन खोजवा थाना भेलुपुर जनपद-वाराणसी
2) शीतल पासवान पुत्र स्व0 लालजी पासवान निवासी एन-14/186 सरायनन्दन खोजवा थाना-भेलुपुर जनपद-वाराणसी

पंजीकृत अभियोग-

1) मु0अ0सं0 0643/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम सुरेश पासवान पुत्र स्व0 लालजी पासवान निवासी-N-14/186 सरायनन्दन खोजवा थाना भेलुपुर जनपद-वाराणसी।
2) मु0अ0सं0 0644/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम शीतल पासवान पुत्र स्व0 लालजी पासवान निवासी एन-14/186 सरायनन्दन खोजवा थाना-भेलुपुर जनपद-वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

(कुल 1.550 कि0ग्रा0 गांजा नाजायज)

1) अभियुक्त सुरेश पासवान के पास से बरामद अवैध गांजे का झोले सहित वजन 850 ग्राम
2) अभियुक्त शीतल पासवान के पास से बरामद झोले का अवैध गांजा सहित वजन 700 ग्राम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1) आबकारी निरीक्षक गुलाब सिंह सेक्टर-1 वाराणसी मय हमराह हे0का0 सुमन्त कुमार मिश्रा व का0 रजनीश कुमार यादव।
2) चौकी प्रभारी सुन्दरपुर उ0नि0 सूरज कुमार तिवारी, उ0नि0 रामप्रीत यादव, का0 चन्द्रप्रकाश खरवार, का0 शुभम मिश्रा व का0 अखिलेश कुमार थाना लंका वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 20/2020 दिनांक: अक्टूबर, 03/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी भेलूपुर के नेतृत्व में दिनांक 02.10.2020 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर गुरुधाम चौराहे के पास से (1) पकंज कुमार राजभर पुत्र छक्कू राजभर नि0 ग्रा0 कल्लीपुर, थाना मिर्जामुराद वाराणसी उम्र 28 वर्ष (मोबाइल में चेक किया गया तो पुलिस की यूनिफार्म में अभियुक्त की फोटो मिली जिसके सम्बन्ध में जांच की जा रही है।) (2) प्रमोद तिवारी पुत्र शिवकुमार तिवारी नि0 ग्रा0 लालपुर, थाना मिर्जामुराद वाराणसी उम्र 32 वर्ष, (3) विष्णु कुमार गौंड पुत्र शिवशंकर गौंड नि0 ग्रा0 बेनीपुर थाना मिर्जामुराद वाराणसी उम्र 20 वर्ष को समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0497/2020 धारा 411,413,419,420,467,468 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- पकंज कुमार राजभर पुत्र छक्कू राजभर नि0 ग्रा0 कल्लीपुर, थाना मिर्जामुराद वाराणसी उम्र 28 वर्ष (मोबाइल में चेक किया गया तो पुलिस की यूनिफार्म में अभियुक्त की फोटो मिली जिसके सम्बन्ध में जांच की जा रही है।)
- प्रमोद तिवारी पुत्र शिवकुमार तिवारी नि0 ग्रा0 लालपुर, थाना मिर्जामुराद वाराणसी उम्र 32 वर्ष
- विष्णु कुमार गौंड पुत्र शिवशंकर गौंड नि0 ग्रा0 बेनीपुर थाना मिर्जामुराद वाराणसी उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

पकंज कुमार राजभर के कब्जे से-

- अपाचे RTR- 160 रंग नीला जिसका चेसिस नं0 MD634KE43G2G75425 व इंजन नं0 OE4GG2022772 जिसमें नम्बर प्लेट UP 65 CY 7331 का नम्बर प्लेट लगा रहा था के सम्बन्ध में बताया कि इसका वास्तविक नम्बर UP 65 CX 1337 है।

प्रमोद तिवारी के कब्जे से बरामद वाहन-

- यामाहा कम्पनी की FZ मोटरसाईकिल रंग काला जिसका चेसिस नं0 ME121C02492008307 व ईंजन नं0 21C2008468 व रजि0 नं0 UP 64 L 6848 तथा जामा तलाशी से 20,000/- रुपये नगद बरामद व शॉकर अगला पिछला 17 अदद, व टंकी 2 अदद, सीट- 4 अदद, साइलेन्सर- 3 अदद, चैन कवर 7 अदद।
- चोरी के अगला पिछला शॉकर कुल- 10 अदद, हैण्डिल- 12 पीस,पहिया- 2 पीस, मीटर- 11 अदद, लेगगार्ड- 5 पीस, स्टैन्ड- 2पीस, हेड सिलेन्डर- 5 अदद, मैगनेट- 3 अदद, क्रेन्क- 4 अदद, मैगनेट क्वाइल- 3 पीस, पैनल प्लास्टिक- 6 अदद, हेडलाइट- 5 अदद बरामद हुआ।

विष्णु कुमार गौंड के कब्जे से बरामद वाहन-

1. मोटर साईकिल बजाज कम्पनी की प्लेटिना रंग काला व रजि0 नं0 UP 65 DF 2230 चेसिस नं0 MD2A18AZ1CRF06253 व ईजन नं0 DZZRCF05822
2. यामहा कम्पनी की स्कूटी रंग काला रजि0 नं0 UP 65 CS 2484 व चेसिस नं0 ME1SED194H0021592 व इंजन नं0 E3Y4E0036689
3. मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर रंग काला जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 अंकित नही है। चेसिस नं0 MBLHAR087KHA00949 व ईंजन नं0 HA10AGKHAA4137 व एक अदद नम्बर प्लेट UP 65 AN 7147 व एक अदद 13 खाना रिन्च

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री अजय कुमार श्रोतिया प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर जनपद वाराणसी।
2. उ0नि0 राहुल कुमार यादव थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।
3. उ0नि0 रवि यादव चौकी प्रभारी खोजवा थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।
4. व0उ0नि0 सुधीर कुमार त्रिपाठी थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।
5. उ0नि0 सहजानन्द श्रीवास्तव चौकी प्रभारी रेवड़ी तालाब थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।
6. कां0 पुनीत कुमार, थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।
7. कां0 आलोक कुमार, थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।
8. कां0 विशाल तिवारी थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।
9. कां0 दिलीप कुमार, थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।
10. कां0 विनीत सिंह थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 21/2020 दिनांक: अक्टूबर, 03/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 03-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 30 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *136 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 2123 वाहनों का चालान, 14 वाहनों को सीज तथा 356 वाहनों से रु0-3,04,700/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 03-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1765 व्यक्तियों से रु0-84,500/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 22/2020 दिनांक: अक्टूबर, 03/2020

प्रेस नोट

दिनांक 02.10.2020 को थाना कैण्ट के उ0नि0 अजय पाल मय हमराही का0 रंजीत द्विवेदी के साथ नेहरू पार्क पर मौजूद थे कि तभी जनता के व्यक्तियों के द्वारा जानकारी हुई कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के मुख्य गेट पर एक व्यक्ति जो खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बता रहा है, पुलिस द्वारा इनके विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के विरोध में, अपने पहने हुए कपड़ों पर पेट्रोल डालकर अपने हाथ में लिए लाइटर से आग लगा लेने की धमकी दे रहा है तथा वहाॅ तैनात पुलिस बल के बार-बार मना करने के बावजूद मान नही रहा है। उक्त सूचना पर प्र0नि0 थाना कैण्ट व उ0नि0 अजय पाल चौकी प्रभारी फुलवरियां पुलिस बल के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आवास के बाहर पहुँचे तो देखा कि निरीक्षक अमित कुमार अपने पहने हुए कपड़ों पर पेट्रोल डालकर अपने हाथ में लिए लाइटर से खुद को जला लेने की धमकी दे रहे थे। उन्हें समझाने का प्रयत्न किया गया परन्तु उनके न मानने पर निरीक्षक अमित कुमार द्वारा आत्महत्या की घटना को सम्भावित पाकर उन्हें हमराही पुलिसगण की मदद से समय करीब 23.25 बजे पकड़ लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कैण्ट में निरीक्षक अमित कुमार के विरूद्ध मु0अ0सं0 0755/2020 धारा 309/504/506/353 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।